# ग्राम पंचायत लठियाणी, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## अवधि 4/2013 से 3/2016

## भाग–एक

### 1. (क) प्रस्तावना :–

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत लठियाणी विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :–

**प्रधान :–**

| क्र0 सं0 | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1. | श्री महिन्द्र सिंह | 1.4.2013 से 21.1.2016 |
| 2. | श्रीमति सत्या देवी | 22.1.2016 से अद्यतन |

**सचिव :–**

| क्र0 सं0 | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1. | श्री राजेश कुमार | 1.4.2013 से 17.10.2013 |
| 2. | श्री कश्मीर सिंह | 18.10.2013 से 25.10.2015 |
| 3. | श्री देव राज | 26.10.2015 से अद्यतन |

### (ख) गम्भीर आपत्तियों का सार :–

ग्राम पंचायत लठियाणी के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

| क्र0 सं0 | पैरा सं0 | अनियमितताओं का संक्षिप्त सार | राशि (लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष राशि | 0.66 |
| 2. | 8 | अनुदानों का उपयोग न करना | 9.44 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | 10 | क्रय किए गए स्टोर (सामान) की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व खपत से संबंधित अभिलेख में दर्ज न करना | 0.82 |
| 4. | 11 | निम्न गुणवत्ता के कार्य का निष्पादन | 2.00 |

## भाग–दो

## 2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत लठियाणी, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 15.7.2016 से 18.7.2016 तक पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 3/14, 9/14, 2/16 व 12/13, 3/15, 1/16 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

## 3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत लठियाणी, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5400 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 214, दिनांक 16.7.2016 ग्राम पंचायत लठियाणी से अनुरोध किया गया। सचिव, ग्राम पंचायत लठियाणी द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को भेज दिया गया है।

## 4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत लठियाणी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

**(1) स्वः स्त्रोत :–**

ग्राम पंचायत लठियाणी के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 स्वयं स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013–14 | 536303 | 244137 | 780440 | 189212 | 591228 |
| 2014–15 | 591228 | 224102 | 815330 | 13300 | 802030 |
| 2015–16 | 802030 | 165502 | 967532 | 16685 | 950847 |

**(2) अनुदान :–**

ग्राम पंचायत लठियाणी के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–'1'** में भी दिया गया है।

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013–14 | 866362 | 2388530 | 3254892 | 2404197 | 850695 |
| 2014–15 | 850695 | 1416417 | 2267112 | 1709337 | 557775 |
| 2015–16 | 557775 | 2072357 | 2630132 | 1685944 | 944188 |

## 4.1 बैंक समाधान विवरणी :–

जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत लठियाणी द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15(1) के अनुसार पंचायत द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार करनी अपेक्षित थी। अतः मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए। रोकड़ वहियों व बैंक खाते के अनुसार दिनांक 31.3.2016 को अन्तशेष का विवरण निम्नानुसार है।

| | | |
|---|---|---|
| (i) | रोकड़ वही खाता (क) पैरा 4(1) के अनुसार अन्तशेष | 950847 |
| (ii) | रोकड़ वही खाता (ख) पैरा 4(2) के अनुसार अन्तशेष | 944188 |
| | **कुल योग** | **₹1895035** |

अन्तशेष का विवरण :–

| क्र0 सं0 | बैंक का नाम | खाता सं0 | राशि (₹) |
|---|---|---|---|
| 1. | के0सी0सी0बी0 लठियाणी (सभी फण्ड) | 20157009040 | 1805060 |
| 2. | के0सी0सी0बी0 लठियाणी (आई0डब्ल्यू0एम0पी0–III) | 50050802593 | 644 |
| 3. | के0सी0सी0बी0 लठियाणी(आई0डब्ल्यू0एम0पी0–शेयर) | 50050802752 | 78249 |
| 4. | यूको बैंक लठियाणी (आई0पी0एच0) | 11890110005514 | 5801 |
| 5. | के0सी0सी0बी0 लठियाणी (पशु चिकित्सक) | 50059886145 | 5188 |
| 6. | के0सी0सी0बी0 लठियाणी (मनरेगा) | 50050926212 | शून्य |
| | | **योग** | **₹1894942** |
| | | **हस्तगत राशि** | **93** |
| | | **कुल योग** | **₹1895035** |

## 5. बजट प्राक्कलन तैयार न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 6. पंचायत राजस्व ₹0.66 लाख वसूली हेतु शेष :–

सचिव ग्राम पंचायत लठियाणी द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2016 को पंचायत राजस्व ₹66275 वसूली हेतु शेष थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

### (क) गृहकर के रूप में ₹0.28 लाख वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

सचिव ग्राम पंचायत लठियाणी द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2016 को गृहकर की ₹28275 वसूली हेतु शेष थी।

| वर्ष | अथशेष | मांग | योग | प्राप्ति | वसूली हेतु शेष राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013–14 | 4035 | 18835 | 22870 | शून्य | 22870 |
| 2014–15 | 22870 | 18915 | 41785 | 31935 | 9850 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015–16 | 9850 | 18425 | 28275 | शून्य | 28275 |

अतः उपरोक्त गृहकर की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

**(ख)** हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 77 के अनुसार फार्म–10 पर पंचायत के गृहकर की मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था, लेकिन जांच के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत के गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। अतः गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व गृहकर मांग व संग्रहण रजिस्टर नियमानुसार तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**(ग) ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाइल टावरों से संस्थापन प्रभार व वार्षिय नवीनीकरण शुल्क ₹0.38 लाख वसूली न करने बारे :–**

सचिव ग्राम पंचायत लठियाणी द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत लठियाणी की परिधि में 4 कम्पनियों के टावर स्थापित थे, जिनमें से केवल एक कम्पनी एयरटैल द्वारा ही संस्थापन प्रभार व वार्षिक नवीनीकरण शुल्क अदा किया गया है व बाकी शेष तीन कम्पनियों द्वारा न तो संस्थापन प्रभार अदा किए हैं व न ही वार्षिक नवीनीकरण शुल्क ग्राम पंचायत को अदा किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप उक्त कम्पनियों से दिनांक 31.3.2016 को ₹38000 (परिशिष्ट–4 पर संलग्न विवरणानुसार) वसूली हेतु शेष थी। अतः उक्त मोबाइल कम्पनियों से उक्त राशि अविलम्ब वसूली जानी सुनिश्चित की जाए व वार्षिक नवीनीकरण शुल्क प्रत्येक वर्ष निर्धारित दरों पर वसूले जाने सुनिश्चित किए जाएं। कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

## 7. खाता 'ख' के ब्याज ₹0.10 लाख को खाता 'क' में अन्तरित न करना :–

(i) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रति वर्ष, माह : जनवरी तथा जुलाई में पचायत द्वारा खाता 'ख' से अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था, परन्तु ग्राम पंचायत लठियाणी के खातों की जांच करने पर पाया गया कि उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निम्नानुसार अनुदानों पर प्राप्त ब्याज ₹9582 को अन्तरित नहीं किया गया है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व तुरन्त प्रभाव से खाता 'ख' के बैंक खातों में अर्जित ब्याज को

खाता 'क' में आन्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

| वर्ष | आई0डब्ल्यू0एम0पी0–III | आई0पी0एच0 | पशु चिकित्सक | कुल योग |
|---|---|---|---|---|
| 2013–14 | 2330 | 208 | – | 2538 |
| 2014–15 | 4769 | 216 | 50 | 5035 |
| 2015–16 | 1645 | 226 | 138 | 2009 |
| **योग** | **₹8744** | **₹650** | **₹188** | **₹9582** |

(ii) जांच के दौरान पाया गया कि आई0डब्ल्यू0एम0पी0–III की रोकड़ वही दिनांक 2.1.2016 को उक्त खाते पर अर्जित ब्याज ₹6500 को खण्ड विकास अधिकारी बंगाणा को हस्तान्तरित किया गया है, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 2009 के नियम 4(1) की स्पष्ट अवहेलना है। अतः उक्त नियमों के विपरीत ब्याज की राशि खण्ड विकास अधिकारी को हस्तान्तरित करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में उक्त प्रकार की अनियमितता न दोहराई जाए। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार सभी अनुदानों पर अर्जित ब्याज को वर्ष समाप्ति के उपरान्त सभा निधि में हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 8. अनुदान ₹9.44 लाख का उपयोग न करना :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट–1) के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹944188 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

## 9. विधिवत औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.50 के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के की जांच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट–'2'** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹249734

के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। यद्यपि सामान का क्रय निविदाओं के आधार पर किया गया दर्शाया है, लेकिन निविदाएं कब आमन्त्रित की गईं उनका निविदा आमन्त्रण पत्र, कब प्राप्त की गई उनका डायरी नम्बर, तुलनात्मक विवरण व किस फर्म को आपूर्ति आदेश भेजा गया इत्यादि महत्त्वपूर्ण अभिलेख मौजूद नहीं है, जोकि नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित है। अतः स्टॉक/स्टोर क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 10. क्रय किए गए स्टॉक/स्टोर की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व खपत से सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज न करना ₹0.82 लाख :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 70 द्वारा स्टॉक/स्टोर के लेखांकन की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट–'3'** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹81998 के स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया, लेकिन उक्त क्रय किए गए स्टॉक/स्टोर की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व खपत से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं है। स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियों व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख के अभाव में क्रय किए गए सामान के दुरूपयोग की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता। अतः क्रय किए गए स्टॉक/स्टोर को रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व स्टॉक रजिस्टरों में वांछित स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 11. निम्न गुणवत्ता के कार्य का निष्पादन ₹2.00 लाख :–

**कार्य का नाम :– C/o link road and Retaining wall village Tyasar Pipal Tyala to House of Prem chand**

**शीर्ष का नाम :– G.R.D.C.A**

**स्वीकृत राशि :– ₹200000**

| Item No. | Name of Item | Quanity executed | Consumption factor of cement | No of cement bag to be consumed | Consumption factor of sand | Quantity of sand to be consumed | Consumption factor of Aggregate | Quantity of Agg. To be consumed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | P/L c.c in 1:3:6 RD00/00 to 00/50 | 16m³ | 4.40 bag | 70.40 | 0.47m³ | 7.52m³ | 0.89m³ | 14.24m³ |
| 5 | P/L c.c in | 16m³ | 2.60 bag | 41.60 | 0.47m³ | 7.52m³ | 0.89m³ | 14.24m³ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1:5:10 in foundation R/Wall P/L c.c. in 1:5:10 above ground Plinth | 27m³ | 2.60 bag | 70.20 | 0.47m³ | 12.69m³ | 0.89m³ | 24.03m³ |
| | | | Total | 182.20bag | | | | |
| | | | Say | 182 bag | | 27.73m³ | | 52.51m³ |
| Actual consumption as per stock register and measurement book | | | | 130 bag | | 16m³ | | 32m³ |
| **Less Material consumed in the work** | | | | **52bag** | | **11.73m³** | | **29.49m³** |

उक्त कार्य का मूल्यांकन माप पुस्तिका संख्या : 4027 पृष्ठ 70 से 72 पर दर्ज है। माप पुस्तिका की जांच करने पर पाया गया कि उक्त कार्य के निष्पादन हेतु 130 बैग सीमेंट, 16 घन मीटर रेत व 32 घन मीटर बजरी का प्रयोग किया दर्शाया गया, जबकि निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप वास्तविक रूप से निष्पादित दर्शाई गई उक्त मदों की मात्रा हेतु 182 बैग सीमेंट, 27.73 घन मीटर रेत व 52.51 घन मीटर बजरी प्रयोग में लाई जानी अपेक्षित थी, ताकि उक्त कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों व गुणवत्ता के अनुरूप हो सके। फलस्वरूप 52 बैग सीमेंट व 11.73 घन मीटर रेत व 29.69 घन मीटर बजरी का प्रयोग उक्त कार्य में कम होने के कारण निष्पादित कार्य हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किए गए मापदण्डों व तय नियमों के अनुरूप नही है। अतः हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कार्य न करवाकर निम्न गुणवत्ता का कार्य करवाने का मामला निदेशक, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश को उचित विभागीय जांच हेतु लाया जाता है। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

## 12. ग्राम पंचायत द्वारा वार्ड सदस्य को अनियमित रूप से बकरियों के बच्चों का वितरण करना ₹0.30 लाख :–

जांच के दौरान पाया गया कि आई0डब्ल्यू0एम0पी0–III की रोकड़ वही से वाउचर संख्या : 8, दिनांक 10.12.2013 को ₹30000 का भुगतान श्री नूर मुहम्मद सुपुत्र श्री नजमदीन निवासी गांव घरवासड़ा डाकघर चुरड़ी को किया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

| क्र0 सं0 | मद का नाम | मात्रा | दर | मूल्य (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | एक वर्ष की बकरी (बच्चा) | 6 | 3700 | 22200 |
| 2. | एक वर्ष की बकरा (बच्चा) | 2 | 3200 | 6400 |
| | | | **कुल** | **₹28600** |
| | | | **किराया** | **₹1400** |
| | | | **योग** | **₹30000** |

उपरोक्त उल्लेखित व्यय वाउचर की जांच करने पर निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियां हैं, जिनका निराकरण किया जाए।

(i) उक्त क्रय की गई बकरियों के बच्चों को वार्ड सदस्य श्री पैनू राम को वितरित किया गया है। उक्त बकरियों को श्री पैनू राम वार्ड सदस्य को वितरित करने से सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा में कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया गया व केवल प्रधान द्वारा ग्राम सभा के अनुमोदन के बिना अपने स्तर पर ग्राम पंचायत के लैटर पैड पर प्रस्ताव पारित करके श्री पैनू राम वार्ड सदस्य के नाम की संस्तुति/अनुमोदन किया गया, जोकि एकीकृत जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम के नियमों की गम्भीर अवहेलना है, क्योंकि उक्त योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों का चयन ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में किया जाना अनिवार्य था। ग्राम सभा के प्रस्ताव रजिस्टर में श्री पैनू राम के नाम के चयन का कोई भी प्रस्ताव पारित न होना व प्रधान द्वारा स्वयं ही ग्राम पंचायत के लैटर पैड पर श्री पैनू राम वार्ड सदस्य के नाम का उक्त स्कीम हेतु चयन करना पूर्णतयः अनियमित एवं अनाधिकृत है। अतः ग्राम सभा के प्रस्ताव रजिस्टर में श्री पैनू राम वार्ड सदस्य के नाम का कोई भी प्रस्ताव पारित न होना व प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के लैटर पैड पर प्रस्ताव पारित करके श्री पैनू राम वार्ड सदस्य को उक्त स्कीम हेतु चयनित करने को नियमानुसार उचित ठहराया जाए व चयन की अनियमित प्रक्रिया की सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी अपेक्षित है।

(ii) उपरोक्त उल्लेखित क्रय की गई बकरियों को निविदाओं के आधार पर क्रय किया गया दर्शाया है। अभिलेख में तीन निविदाएं संलग्न की गई हैं, लेकिन निविदाएं कब आमन्त्रित की गईं उनका निविदा आमन्त्रण पत्र, कब प्राप्त की गईं उनका डायरी नम्बर, तुलनात्मक विवरण व किस व्यक्ति को आपूर्ति आदेश भेजा गया इत्यादि महत्त्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं। अतः बकरियों को क्रय करने से पूर्व हि0प्र0 पंचायती राज नियम 2002 के नियम 67(5) के अन्तर्गत क्रय करने से पूर्व औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गईं। भविष्य में नियमानुसार ही क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 13. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संपरीक्षा संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 की धारा–4 के अनुरूप लेखों का रख–रखाव न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 की धारा–4 के अनुरूप लेखों का रख–रखाव ग्राम पंचायत लठियाणी द्वारा नहीं किया गया, जबकि उक्त नियम के अनुसार ग्राम पंचायत को अपनी आय के स्त्रोत हेतु खाता–'क' व अनुदान विशेष प्रयोजन हेतु आवंटित निधियों हेतु अलग से खाता–'ख' खोला जाना अनिवार्य था, लेकिन

ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय के स्त्रोत हेतु खाता–'क' में ही प्राप्त अनुदानों को भी दर्ज किया जा रहा है, जोकि नियमों के विपरीत है। अतः अपने आय के स्त्रोत हेतु खाता–'क' व अनुदान विशेष प्रयोजन हेतु आवंटित निधियों हेतु खाता–'ख' खोला जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 14. माप पुस्तिका में सामान खपत विवरणी तैयार न करना :–

जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत लठियाणी में प्रत्येक माह विकास कार्य हेतु लाखों रूपये की सामान, जैसे कि रेत, बजरी, बजरा, पत्थर, सीमेंट व ईटें इत्यादि खरीदा गया, लेकिन माप पुस्तिकाओं में सामान खपत विवरणी वास्तविक रूप में तैयार नहीं की गई है, जिसके कारण इस बात की पुष्टि नहीं हो सकती कि जिस कार्य हेतु प्राकलन के आधार पर जितनी मात्रा में सामान खरीदा गया है। वास्तव में उतनी ही मात्रा में सामान की खपत हुई है, जोकि कार्य नियमों की विपरीत है। अतः भविष्य में माप पुस्तिकाओं में सामान खपत विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए।

## 15. वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुरूप लेखों का रख–रखाव ग्राम पंचायत लठियाणी द्वारा नहीं किया गया, जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है, जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत लठियाणी के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थी, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 16. टी0डी0एस0 की कटौती न करना :–

आयकर की धारा 194(सी0) में विहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति संविदाकार अथवा फर्म को किए गए ₹3000 से अधिक के किसी भी एकल भुगतान अथवा ₹75000 से अधिक सकल भुगतान पर 2% की दर से व एकल व्यक्ति की अवस्था में 1% की दर से टी0डी0एस0 की कटौती की जानी अनिवार्य है व धारा 194 (सी) किसी भी कार्य हेतु किए गए सभी प्रकार के अनुबन्धों चाहे व लिखित हो अथवा मौखिक हो पर लागू होती है, जैसे कि विज्ञापन, कैटरिंग, ट्रांस्पोर्ट, लेवर, सेवा कार्य व सामान इत्यादि का अनुबन्ध। आयकर की धारा

194(सी) में विहित प्रावधान की अनुपालना न करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक विभिन्न व्यक्तियों, ठेकेदारों व फर्मों से टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गई है, जिसके कारण सरकारी कोष में कई हजारों रूपये टी0डी0एस0 के रूप में कम जमा हुए हैं। अतः अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक टी0डी0एस0 के रूप में कम जमा हुई राशि की गणना संस्था स्तर पर करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि उचित स्त्रोत से वसूली करके सरकारी कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए। भविष्य में आयकर की धारा 194(सी) के प्रावधानों के अनुसार टी0डी0एस0 की कटौती की जानी सुनिश्चित की जाए।

## 17. (i) स्टोर (सामान) का क्रय व उपायन के प्रयोजन हेतु उपसमिति का गठन न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 की धारा 63(3) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्टोर (सामान) के क्रय व उपायन के प्रयोजन से निम्नलिखित रीति से एक उपसमिति गठित करेगी।

ग्राम पंचायत की दशा में प्रधान, उपप्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा नाम निदिृष्ट किए जाने वाले दो वार्ड सदस्य व ग्राम पंचायत का सचिव। अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत लठियाणी द्वारा स्टोर (सामान) का क्रय व उपायन के प्रत्येक प्रयोजन हेतु उप समिति का गठन नहीं किया गया है, जोकि पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 की धारा 67(3) की गम्भीर अवहेलना है। अतः स्टोर (सामान) का क्रय व उपायन उपसमिति के गठन के बिना करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के दौरान उपसमिति के गठन के बिना अनियमित रूप से क्रय किए गए स्टोर (सामान) को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए, ताकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 की धारा 67 की अनुपालना होने के साथ–साथ स्टोर (सामान) के क्रय व उपायन में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

### (ii) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उपनियम 93 के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अनिवार्य है, ताकि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। ग्राम पंचायत द्वारा गठित सहभागी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे।

(i) सम्बन्ध ग्राम पंचायत का प्रधान/उपप्रधान
(ii) सम्बन्ध वार्ड का ग्राम पंचायत सदस्य

(iii) महिला मण्डल से एक सदस्य

(iv) युवक मण्डल से एक सदस्य

(v) सम्बन्ध क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थान से एक शिक्षक

अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान करवाए गए निर्माण कार्यों की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत लठियाणी द्वारा किसी भी निर्माण कार्य हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया गया है व सभी कार्य सहभागी समिति की स्वीकृति के बिना ही स्वयं करवाए गए हैं, जोकि पंचायती राज अधिनियम 20002 के अध्याय–II के उपनियम–93 व पारदर्शिता नियमों की अवहेलना है। अतः प्रत्येक निर्माण कार्य हेतु सहभागी समिति का गठन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सहभागी समिति के गठन के बिना अनियमित रूप से करवाए गए सभी कार्यों को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए व भविष्य में प्रत्येक निर्माण कार्य सहभागी समिति अथवा उपनियम–93(b) के अनुसार पंजीकृत संस्था जैसे कि महिला मण्डल, युवक मण्डल व वाटर शैड विकास कमेटी इत्यादि के माध्यम से करवाए जाने सुनिश्चित किए जाएं। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

## 18. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

| क्र0 सं0 | रजिस्टर/अभिलेख | फार्म सं0 | संदर्भित नियम |
|---|---|---|---|
| 1. | निवेश रजिस्टर | 1 | 12 |
| 2. | अस्थाई अग्रिम रजिस्टर | 9 | 30 |
| 3. | निर्माण कार्यों का रजिस्टर | – | 103 |
| 4. | मासिक समाधान विवरणी | – | 15(1) |
| 5. | विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते | 7 | 29(1) |
| 6. | मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर | 10 | 33 व 77(4) |
| 7. | अनुदान रजिस्टर | 21 | 61(1) |
| 8. | डाक टिकट रजिस्टर | 24 | 61(2) |
| 9. | स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर | 25 व 26 | 72(1) |
| 10. | निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर | 31 | 95(1) |

**19. प्रत्यक्ष सत्यापन :–**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**20. लघु आपत्ति विवरणिका :–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

**21. निष्कर्ष :–** लेखों के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त रोकड वहियों का रख–रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के अध्याय–2 नियम–4 के अनुरूप रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन (एल0ए0)एच0(पंच)15(v)6/2016, खण्ड–1–5160–5163 दिनांकः 27.09.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–09 को पैरा संख्या : 1(ख) व 11 में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना हि0 प्र0
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बंगाणा, तहसील बंगाणा व जिला ऊना हि0 प्र0

**पंजीकृत**

4. सचिव, ग्राम पंचायत लठियाणी, विकास खण्ड बंगाणा, तहसील बंगाणा व जिला ऊना हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.